रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28122020-223972
CG-DL-E-28122020-223972

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 665] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 28, 2020/पौष 7, 1942
No. 665] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 28, 2020/PAUSHA 7, 1942

IndianCode

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 798(अ).—धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ध क) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 8/2017, दिनांक 15 नवंबर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1423(अ), दिनांक 16 नवंबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड- 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, को निरसित करती है जो ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा किए जाने से लोप की गई बातों के अतिरिक्त है और 'रियल इस्टेट एजेंट' जो कि ''रियल इस्टेट'' की बिक्री या खरीद के संबंध में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं और जिनका वार्षिक कारोबार 20 लाख रुपए या इससे अधिक का है, को ऐसे व्यक्ति के रुप में अधिसूचित करती है, जो ''पदाभिहित कारोबार या व्यवसाय कर रहे हैं।''

[फा. सं. पी-12011/14/2020-ईएस सेल-डीओआर]

अरविंद सरन, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2020

G.S.R. 798(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (sa) of sub-section (1) of section 2 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 8/2017, dated 15 November, 2017, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), extra-ordinary, vide GSR 1423 (E) dated the 16 November 2017, except as respects things done or omitted to done before such recession and notifies the "Real Estate Agents", as a person engaged in providing services in relation to sale or purchase of real estate and having annual turnover of Rupees twenty lakhs or above, as "persons carrying on designated businesses or professions".

[F. No. P-12011/14/2020-ES Cell-DOR]

ARVIND SARAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 799(अ).—धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ध क) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा, बहुमूल्य धातुओं तथा बहुमूल्य रत्नों के डीलरों को यदि वे ग्राहक के साथ 10 लाख रुपए या इससे अधिक का नकद लेन-देन, एक बार में अथवा ऐसे कई बार में जो कि आपस में जुड़े हुए प्रतीत हो, करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के रुप में अधिसूचित करती है जो पदाभिहित कारोबार या व्यवसाय में संलग्न है।

[फा. सं. पी-12011/14/2020-ईएस सेल-डीओआर]

अरविंद सरन, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2020

G.S.R. 799(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (sa) of sub-section (1) of section 2 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby notifies the dealers in precious metals, precious stones as persons carrying on designated businesses or professions – if they engage in any cash transactions with a customer equal to or above Rupees ten lakhs, carried out in a single operation or in several operations that appear to be linked.

[F. No. P-12011/14/2020-ES Cell-DOR]

ARVIND SARAN, Director

IndiaCode